तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज *निगरानी/टीए/2006/8169/बाडमेर* *सुमेरमल बनाम रामसिंह वगैरह*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
25/08/2025	एकल पीठ श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य ——————— ***आदेश*** वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने यह निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05–05–2006 को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विवाद्यक संख्या–2, 4 व 6 का निर्णय पक्षकारों की साक्ष्य आने के उपरांत ही निर्णित किये जायेंगे। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है और रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विधिनुसार आदेश पारित किया जाये। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निवेदन किया है कि निगरानी याचिका सारहीन हो चुकी है, क्योंकि मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। अतः निगरानी याचिका खारिज की जाये। उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत निगरानी के माध्यम से निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 05–05–2006 को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि विवाद्यक संख्या–2, 4 व 6 का निर्णय पक्षकारों की साक्ष्य आने के उपरांत ही किया जायेगा। चूंकि इस प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है तथा उक्त रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण/मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी याचिका सारहीन हो गई है। अतएव निगरानी याचिका आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस आदेश के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 25/08/2025 को लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया। (पुरूषोत्तम लाल सैनी) सदस्य	